

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग**

क्रमांक:- प.3(54) नविवि/III/2011/पार्ट

जयपुर, दिनांक :-

20 DEC 2012




आदेश

राजस्थान गवर्नमेन्ट ग्रान्ट एक्ट, 1961 के अन्तर्गत नगर निकायों के द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक OE/F.19(campaign)DLB/83/5783 दिनांक 15.09.1983 एवं इसके पश्चात् समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त अधिनियम के तहत पट्टा राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार दिये जाने के निर्देश भी दिये गये हैं। स्वायत्त शासन विभाग के आदेश क्रमांक प.8(ग) ( )नियम/स्वाशा/2000/445 दिनांक 20.09.2002 के द्वारा यह भी निर्देश जारी किये गये थे कि नगर सुधार न्यास क्षेत्र में राजस्थान स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार पट्टा जारी किया जायेगा।

आबादी भूमि जिस पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिये जा सकते हैं वह भूमि या तो प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के नाम दर्ज है या संबंधित नगरपालिका/नगर परिषद्/नगर निगम के नाम दर्ज है। इस बिन्दु पर मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि नगरपालिका/परिषद्/निगम के नाम दर्ज भूमि पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टा क्या प्राधिकरण/नगर विकास न्यास के द्वारा जारी किया जा सकता है ? और यदि भूमि प्राधिकरण/न्यास के नाम दर्ज है तो क्या पट्टा नगरपालिका/परिषद्/निगम के द्वारा जारी किया जा सकता है ?


अतः, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि नगरपालिका/नगरनिगम/नगर परिषद् क्षेत्रों में पुरानी बसावटों पर यदि काम की अधिकता एवं सहूलिप्त की दृष्टि से नगर विकास न्यास अथवा जोधपुर /जयपुर विकास प्राधिकरण स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे देना चाहते हैं तो उनके द्वारा संबंधित नगरपालिका/नगरपरिषद्/नगर निगम से अनापत्ति लेकर पट्टे दिये जा सकते हैं। इसी प्रकार नगर विकास न्यास अथवा जोधपुर /जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज भूमि पर पुरानी बसावटों पर स्टेट ग्रान्ट एक्ट के तहत पट्टे नगरपालिका/नगरपरिषद्/नगरनिगम देना चाहते हैं तो उनके द्वारा संबंधित प्राधिकरण/न्यास से अनापत्ति लेकर पट्टे लिये जा सकते हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(गुरदयाल सिंह संधु)  
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
6. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. शासन उप सचिव- प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
8. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की प्रति समस्त समस्त नगर निगमों/नगर परिषदों/नगरपालिका मण्डलों, राजस्थान को भिजवाने की व्यवस्था करावें।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगरनिगम/नगरपरिषद/नगरपालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।
11. सचिव, जयपुर / जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
12. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/अधिशापीअधिकारी, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका मण्डल(समस्त) राजस्थान।
14. रक्षित पत्रावली।

  
उप शासन सचिव-द्वितीय